भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3890
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का प्रयोग
3890. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक गुड़ के निर्यात का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2014 से अब तक एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए गन्ने की कुल मात्रा का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है;
(ग) वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक चीनी उत्पादन, गुड़ उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए गन्ने का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने खांडसारी और गुड़ क्षेत्र में रोजगार और आजीविका पर गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार एथेनॉल उत्पादन हेतु गन्ने के बढ़ते उपयोग और भारत की पारंपरिक चीनी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संबंध में किसान संगठनों और गुड़ उत्पादकों द्वारा उठाई गई चिंताओं से अवगत है; और
(च) यदि हां, तो सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) वर्ष 2021-22 से 2026-27 (अप्रैल-मई) तक गुड़ के निर्यात का राज्यवार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) एवं (ग) राज्य सरकारों द्वारा एथेनॉल और चीनी उत्पादन के लिए गन्ने के उपयोग के संबंध में कोई अलग डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। चीनी मिलें चीनी और एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग कर सकती हैं।

2021-22 से चीनी उत्पादन और इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए गन्ने का विवरण:

आंकड़े लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) में

राज्य	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (दिनांक 15.07.2026 तक)**
उत्तर प्रदेश	1016.3	1098.8	981.7	956.0	878.0
महाराष्ट्र	1322.3	1053.9	1076.1	855.0	1045.0
कर्नाटक	648.7	603.5	585.0	521.7	576.0
गुजरात	114.2	93.5	89.4	86.5	72.1
तमिलनाडु	139.2	160.5	123.1	83.7	67.4
बिहार	47.3	66.3	67.7	62.4	56.9

हरियाणा	75.5	77.0	62.6	55.8	47.6
पंजाब	64.2	67.7	63.3	63.3	50.0
मध्य प्रदेश	57.5	56.7	60.9	56.9	49.1
उत्तराखंड	43.6	48.4	30.6	39.1	30.0
आंध्र प्रदेश	22.8	22.4	18.9	13.1	8.3
तेलंगाना	21.2	24.6	17.2	16.0	18.5
छत्तीसगढ़	9.8	9.4	10.3	6.9	5.3
ओडिशा	3.2	2.6	3.1	2.9	2.1

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)

(घ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने हितधारकों से टिप्पणियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 का मसौदा 20 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया। यद्यपि, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझा गया, अतः इसे 29 मई 2026 को वापस ले लिया गया।

(ङ) से (च): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार की प्राथमिकता घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

अनुबंध

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 के भाग (क) के संदर्भ में अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (अप्रैल-मई) तक राज्यवार गुड़ का निर्यात

(मूल्य यूएसडी मिलियन में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (अप्रैल-मई)
	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
आंध्र प्रदेश	0.00	0.01	0.03	0.10	0.15	0.03
बिहार	2.33	1.86	5.02	4.41	3.22	0.39
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.01	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	0.00	-	-
दिल्ली	1.40	1.47	2.84	2.31	2.45	0.16
गुजरात	2.48	2.73	2.94	3.51	3.65	0.42
हरियाणा	1.01	1.17	1.20	2.69	3.36	0.14
हिमाचल प्रदेश	0.03	-	0.00	0.01	0.04	0.01
कर्नाटक	0.95	1.03	1.97	2.18	1.93	0.33
केरल	2.98	3.26	4.34	5.24	4.54	0.64
मध्य प्रदेश	0.03	0.00	0.01	0.06	0.02	0.01
महाराष्ट्र	7.40	6.69	8.49	10.48	8.22	1.25
ओडिशा	0.07	-	-	-	-	-
पुदुचेरी		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
पंजाब	1.31	1.58	2.30	4.13	4.09	0.26
राजस्थान	0.13	0.10	0.33	0.24	0.13	0.02
तमिलनाडु	8.76	8.54	9.46	8.94	9.28	1.30
तेलंगाना	0.81	0.65	0.80	0.78	0.82	0.13
उत्तर प्रदेश	0.50	0.96	1.45	2.02	1.94	0.18
उत्तराखंड	0.22	0.18	0.55	1.07	1.26	0.15
पश्चिम बंगाल	0.49	0.64	0.95	1.20	1.57	0.23
अनिर्दिष्टि	1.56	0.17	0.00	0.02	-	-
कुल	**32.47**	**31.05**	**42.68**	**49.39**	**46.67**	**5.66**

स्रोत: वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस)
